

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा आज दिनांक 21.06.2021 को सातवे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाईन जनपद आजमगढ़ में कोविड प्रोटोकाल के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री देव विजय यादव जी द्वारा विभिन्न प्रकार के योग आसनो जैसे अनुलोम-विलोम, कपाल भांति, अर्धचक्रासन, बज्रआसन, भुजंगआसल, शशांक आसन, शीतली प्राणायाम आदि आसनो का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा लोगो को प्रोत्साहित करते हुए बताये कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाये रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीम श्री सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी सद श्री सिद्धार्थ तोमर, प्रतिसार निरीक्षक श्री प्रमोद दूबे व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

थाना-सिधारीएक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित, ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी व शराब माफियो की गिरफ्तारी के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक श्री सुधीर जायसवाल व क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.06.2021 को निरीक्षक अपराध श्री विजय प्रताप सिंह मय राहीगण के साथ थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त करता हुए छतवारा चौराहे पर भ्रमणशील होकर मु०अ०स० 19/2021 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट व 03 महामारी अधि० व 8/21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि० 2003 व 188/209/511 भादवि से सम्बंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु नरौली तिराहे पर पहुचे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मु०अ०स० 19/21 का वांछित अभियुक्त अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० पारसनाथ विश्वकर्मा सा० सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पहलवान तिराहे पर कही जाने हेतु वाहन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर नि०अ० मय राह कर्मचारी के पहलवान तिराहा पर पहुचकर वहां खडे संदिग्ध व्यक्ति के तरफ चले कि पुलिस बल को अपने तरफ आता देख उक्त व्यक्ति पीछे मुडकर भागना चाहा कि पुलिस बल द्वारा दौडाकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय 12.10 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० पारसनाथ विश्वकर्मा सा० सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

सम्बन्धित अभियोग

मु०अ०स० 14/2021 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट व 03 महामारी अधि० व 8/21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधि० 2003 व 188/209/511 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. अजय कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व० पारसनाथ विश्वकर्मा सा० सर्फुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. नि०अ० विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. का० प्रफुल्ल कुमार वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

हत्या के अभियोग के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.05.2021 को श्री शाहुल पुत्र रामहरख ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि प्रेमप्रसंग को लेकर साजिश के तहत मेरे छोटे भाई भीम को विपक्षीयण द्वारा बुलाकर कमरे में बन्द कर लाठी डण्डा से मार पीट कर हत्या दी गयी। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पर मु 0अ0सं0 67/2021धारा 147/120B/342/302 IPC व 3(2)5 SC/ST एक्ट बनाम 1. पुष्पा पुत्री जगदीश निषाद 2. जगदीश निषाद पुत्र गोमती निषाद 3. शेरू पुत्र जगदीश निषाद 4. बीरू पुत्र जगदीश निषाद 5. किशुन पुत्र जगदीश निषाद निवासीगण ग्राम परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 34 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, वारंटी, ईनामिया की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के कुशल निर्देशन में अभियान के तहत आज दिनांक 21.06.2021 को वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना के आधार पर दबिश देकर वांछित अभियुक्तगण 1-शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद 2-किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासीगण परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को समय करीब 10.30 बजे उनके घर ग्राम परसमनपुर से गिरफ्तारी किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को उनके अपराध से बोध कराते हुए चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 67/2021धारा 147/120B/342/302/34 भादवि 3(2)5 SC/ST Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1-शेरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
- 2-किशुन निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. प्र0नि0 देवानन्द थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 मोहम्मद जावेद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 दिनेश कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 अंशिका श्रीवास्तव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश/चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ 0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय राह का0 जयसिंह पटेल के रवाना शुदा रो0आम तारीखी इमरोजा से मय गिरफ्तार शुदा 01 नफर अभियुक्त मौसम्मी 1. छोटे मिया उर्फ सलमान पुत्र किताबु उर्फ किताबुद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी मानपुर थाना चितबाडागाँव जनपद बलिया सम्बन्धित मु 0अ0सं0 73/2021 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता अधि0 के उपस्थित थाना आकर दिनांक- 21.06.2021 को उ0नि0 मय राह उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु अजमतगढ़ मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कंजरा मोड़ पर खडा है और कही जाने की फिराक मे है इस सूचना पर विश्वास करके उ 0नि0 मय राह के मय मुखबिर के अजमतगढ़ से प्रस्थान कर कंजरा मोड़ से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किया जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से चौराहे के पास खडे व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्त है। हटबढ़ गया कि पुलिस वालो द्वारा सिखलाये हुये तरीको से एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्ति को पकड लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना छोटे मिया उर्फ सलमान पुत्र किताबु उर्फ किताबुद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी मानपुर थाना चितबाडागाँव जनपद बलिया जिनका भागने का कारण पूछा गया तो बताये की साहब जो पिकप मे गाय व पिकप पकड़ी गयी थी। जिसमे मे पुलिस से बचने हेतु अपनी रिश्तेदारी मे जा रहा था कि पता नही आप लोग कहा से आकर मुझे पकड लियो। अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- छोटे मिया उर्फ सलमान पुत्र किताबु उर्फ किताबुद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी मानपुर थाना चितबाडागाँव जनपद बलिया पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3/5ए/8 गो0नि0अधि0 व 11(च) पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव चौकी इन्चार्ज अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 जयसिंह पटेल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादीनी थाना जहानागंज जिला आजमगढ के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 20 2/20 धारा 294.504.352.354ग.506 भादवि व 67ए आई0टी0 एक्ट बनाम 1-गुलशन पुत्र स्व0 रामअवध 2-बृजेश पुत्र केशव नि0गण डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से धारा 7/8 पाक्सो एक्ट तथा 67 ए आई0टी0 एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र बालचन्द पासी ग्राम मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षणमे वांछित वारण्टी की गिरफ्तार के चलाये गये अभियान के क्रम मे दिनांक- 21.06.2021 को उ0नि0 योगेन्द्र पाल मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 20 2/20 धारा 294.504.352.354ग.506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 ए आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गुलशन पुत्र स्व 0 रामअवध सा0 डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 11.00 बजे दिन मे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- गुलशन पुत्र स्व 0 रामअवध सा0 डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ बदरियाफ्त जुर्म से इन्कार कर अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय मे देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 202/20 धारा 202/20 धारा 294.504.352.354ग.506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 67 ए आई0टी0 एक्ट , थाना-जहानागंज, आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

गुलशन पुत्र स्व0 रामअवध सा0 डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार पाल
2. हे0का0 जगदीश यादव

थाना जहानागंज

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला गिरफ्तार

दिनांक 15.03.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता तहरीर हिन्दी लिखित दस्तखती खुद का बताते हुए बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0052/2021 धारा 363/366 बनाम अफरोज पुत्र निजामुद्दीन निवासी कनैला थाना जहानागंज आजमगढ आदि 7 नफर के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहें अभियान के क्रम मे दिनांक- 21.06.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 52/2021 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ सलाउद्दीन पुत्र शौकत अली साकिन सादात नगर थाना सादात जनपद गाजीपुर को ग्राम कनैला से निजामुद्दीन के घर से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:- सोनू उर्फ सलाउद्दीन पुत्र शौकत अली साकिन सादात नगर थाना सादात जनपद गाजीपुर बदरियाफ्त मुकदमा उपरोक्त के संबन्ध में पूछ-ताछ करने पर जुर्म स्वाकीर करते हुए अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय मे देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 52/2021 धारा 363/366 भादवि थाना-जहानागंज, आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- सोनू उर्फ सलाउद्दीन पुत्र शौकत अली साकिन सादात नगर थाना सादात जनपद गाजीपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय थाना-जहानागंज, आजमगढ।
- 2- हो0का0 सहदेव थाना-जहानागंज, आजमगढ।
3. का0 अरविन्द कुमार यादव थाना-जहानागंज, आजमगढ।